# हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

Email.-exam@durguniversity.ac.in Website :- www.durguniversity.ac.in Phone No. 0788-2359100

क्र. 270 /प्रवेश/2025 दुर्ग, दिनांक 03/06/2025

## //अधिसूचना//

**हेमचंद यादव विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत सत्र 2025–26 के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु ऑनलाईन पद्धति से प्रवेश आवेदन फार्म प्रारंभ किया जाता है, जिसकी तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-**

| क्र. | विवरण | प्रथम चरण हेतु प्रवेश की तिथि | द्वितीय चरण हेतु प्रवेश की तिथि | तृतीय चरण हेतु प्रवेश की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 01 | प्रवेश प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि (स्नातक–प्रथम सेमेस्टर (नियमित)) | 05.06.2025 से 15.06.2025 तक | 21.06.2025 से 30.06.2025 तक | 08.07.2025 से 21.07.2025 तक |
| 02 | मेरिट सूची जारी करने की तिथि | 16.06.2025 | 01.07.2025 | 22.07.2025 |
| 03 | महाविद्यालयों में प्रवेश की तिथि | 16.06.2025 से 20.06.2025 तक | 01.07.2025 से 07.07.2025 तक | 22.07.2025 से 31.07.2025 तक |

- महाविद्यालयों में सीटें रिक्त होने की स्थिति में कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि 14.08.2025 है।
- कक्षाओं का विवरण जिसके लिए प्रवेश आवेदन पोर्टल खोला जा रहा है – बी.कॉम./बी.एससी./बी.सी.ए./बी.बी.ए./बी.एससी. गृह विज्ञान/बी.ए./डी.सी.ए.।
- स्वाध्यायी (प्राईवेट) विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु पोर्टल पृथक से खोला जाएगा, जिसके लिए विद्यार्थी निरंतर विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.durguniversity.ac.in** का अवलोकन करते रहेंगे।
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुसार महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

**छात्र/छात्राओं हेतु निर्देशः-**

1. प्रवेश आवेदन फार्म पूर्णतः निःशुल्क है।
2. समस्त विद्यार्थियों को **ABC (Academic Bank of Credit)** आई.डी. बनाना अनिवार्य है। **ABC (Academic Bank of Credit)** आई.डी. बनाने के पश्चात ही विद्यार्थी प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे। **(Link:- http://www.abc.gov.in)**
3. ऐसे नियमित विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व में **ABC (Academic Bank of Credit)** आई.डी. बना ली है, उन्हें पुनः ABC ID बनाने की आवश्यकता नहीं है।
4. छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबबसाईट **www.durguniversity.ac.in** के Quick Links पर जाकर Online Admission Form 2025-26 पर Click कर अथवा **http://durg1.ucanapply.com** के माध्यम से प्रवेश हेतु ऑनलाईन प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे।

5. छात्र/छात्राएं उपरोक्त लिंक के माध्यम से सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे तत्पश्चात यूजर आई. डी. एवं पासवर्ड प्राप्त कर प्रवेश आवेदन फार्म भरेंगे।
6. प्रत्येक विद्यार्थी अधिकतम एक बार में 10 महाविद्यालयों हेतु प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे।
7. मेरिट सूची जारी होने के पश्चात सूची में नाम आने पर संबंधित विद्यार्थी को उक्त महाविद्यालय में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
8. प्रथम मेरिट सूची में प्रवेश से वंचित छात्रों को मेरिट के आधार पर द्वितीय सूची में शामिल किया जाए।
9. महाविद्यालय, NEP 2020 के स्नातक प्रथम सेमेस्टर हेतु महाविद्यालय की संबद्धता एवं उपलब्धता के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु GE एवं VAC के विषय आबंटित करेंगे।
10. महाविद्यालयों को संबंधित विद्यार्थी के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात यथाशीघ्र Admitted करने के पूर्व GE एवं VAC के विषय Fill करना सुनिश्चत करें एवं ऑनलाईन माध्यम से भी उनके डाटा को वेरिफाई अथवा Admitted करना होगा। संबंधित विद्यार्थी के डाटा को महाविद्यालय द्वारा वेरिफाई नहीं करने की स्थिति में भी उक्त विद्यार्थी का डाटा प्रवेश पोर्टल से हटा दिया जाएगा।
11. यदि विद्यार्थी का नाम उसके द्वारा चयन किए गये 10 महाविद्यालयों में से किसी की भी मेरिट सूची में शामिल नहीं है तो उन्हें पुनः नवीन प्रवेश आवेदन फार्म भरना होगा जिसके लिए उन्हें पुनः रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे अपने उसी आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर पुनः प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे।
12. प्रवेश फार्म ऑनलाईन पद्धति से भरने के पूर्व छात्र/छात्राएं छ.ग. शासन्न द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का भलिभांति अवलोकन कर लेवें, तत्पश्चात ही प्रवेश आवेदन फार्म भरें, जिससे उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
13. छात्र/छात्राएं अब मोबाईल के माध्यम से भी प्रवेश आवेदन फार्म भर सकेंगे, इसके लिए उन्हें अपने अंतिम परीक्षा की अंकसूची (यदि प्राप्त नहीं हुई है तो इंटरनेट से प्राप्त की हुई प्रति) प्रमाणपत्र, फोटो, हस्ताक्षर आदि पहले से ही स्कैन करके रखना होगा जिससे अपलोड करते समय परेशानी न हो।
14. ऑनलाईन प्रवेश आवेदन करने के पश्चात आवेदन की एक प्रति संबंधित महाविद्यालय एवं एक प्रति संबंधित छात्र/छात्रा के आई.डी. पर अपलोड हो जाएगी जिसे विद्यार्थी कभी भी डाउनलोड अथवा प्रिंट कर सकते हैं।
15. विद्यार्थी विषय / पाठ्यक्रम का चयन करने में अत्यन्त सावधानी रखेंगे। विषय / पाठ्यक्रम चयन में त्रुटि होने पर संबंधित महाविद्यालय से सुधार कार्य निःशुल्क करा सकेंगे।
16. प्रवेश आवेदन फार्म आवश्यक दस्तावेजों सहित (यथा स्थानान्तरण/माईग्रेशन प्रमाण पत्र, अंतिम परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति (यदि अंकसूची अप्राप्त है, तो इंटरनेट से प्राप्त अंकसूची की छायाप्रति), पात्रता प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो), निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य यदि कोई हो तो) आदि संबंधित महाविद्यालयों में स्वीकार किए जायेंगे। महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित सीट संख्या के आधार पर आवेदनों की मेरिट सूची तैयार कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सीट रिक्त होने पर प्रवेश हेतु पुनः आवेदन मंगाये जायेंगे।

17. अधिभार के संबंध में वर्ष 2024-25 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के बिन्दु क्र. 13 से 13.8 तक का अवलोकन किया जा सकता है। अधिभार हेतु संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रदेश आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

18. **यदि ऑनलाईन प्रवेश आवेदन फार्म भरते समय किसी प्रकार की समस्या आती है तो छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय के हेल्पलाईन नं. 08062526431 (0 is Mandatory to make a call) पर फोन के माध्यम से अथवा onlinehelp@durguniversity.in पर ई-मेल कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।**

महाविद्यालयों हेतु निर्देशः-

1. **इस वर्ष महाविद्यालयों के लिए OTP Based Login System तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत सम्बंधित महाविद्यालय को प्रथम बार Login करने पर मोबाइल नं. एवं ई-मेल की जानकारी देनी होगी। सम्बंधित महाविद्यालय उक्त जानकारी केवल एक बार ही दर्ज कर सकेंगे तथा प्रत्येक बार Login करने पर उपरोक्त दिए गये मोबाइल नं. एवं ई-मेल पर OTP प्रेषित की जाएगी जिसकी प्रविष्टि Login करने के समय पर की जानी अनिवार्य होगी।**
2. महाविद्यालयों को संबंधित विद्यार्थी के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात यथाशीघ्र Admitted करने के पूर्व GE एवं VAC के विषय Fill करना सुनिश्चत करें एवं ऑनलाईन माध्यम से भी उनके डाटा को वेरिफाई अथवा Admitted करना होगा। संबंधित विद्यार्थी के डाटा को महाविद्यालय द्वारा वेरिफाई नहीं करने की स्थिति में भी उक्त विद्यार्थी का डाटा प्रवेश पोर्टल से हटा दिया जाएगा।
3. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट संख्या से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश न दिया जाए। यदि महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट संख्या से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। सीट संख्या से अतिरिक्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
4. सत्र 2025-26 में आपके महाविद्यालय में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पद्धति से आवेदन लिए जा सकेंगे। महाविद्यालय उन्हीं प्रवेश आवेदनों को स्वीकार करेंगे जिनके आवेदन में संबंधित महाविद्यालय का चयन किया गया हो।
5. विश्वविद्यालय द्वारा जिन विषय / पाठ्यक्रम की संबद्धता महाविद्यालय को प्रदान की गई है, उनकी सूची महाविद्यालय अपने वेबसाईट / सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करेंगे।
6. प्रवेश फार्म केवल ऑनलाईन पद्धति से ही भरे जायेंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाईन प्रवेश आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। यदि महाविद्यालय प्रवेश तिथि के पश्चात ऑफलाईन आवेदन लेकर किसी भी छात्र/छात्रा को प्रवेश देते हैं तो इसके लिए संबंधित महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे संपूर्ण दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात प्रवेश पोर्टल पर जाकर संबंधित विद्यार्थी के डाटा को Admited करेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित छात्रों के आवेदन को संबंधित महाविद्यालय द्वारा Admited करना अनिवार्य है। तत्पश्चात ही उनकी प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

8. स्नातक प्रथम वर्ष में जिन विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी उनके आवेदन संबंधित महाविद्यालय द्वारा Admited करना अत्यंत आवश्यक है, जिनके डाटा को महाविद्यालय द्वारा ऑनलाईन माध्यम से Admited नहीं किया जाएगा ऐसे विद्यार्थी नामांकन आवेदन एवं परीक्षा आवेदन फार्म नहीं भर पायेंगे।
9. पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र की उपलब्धता पर महाविद्यालय अपने सूचना पटल एवं वेबसाईट दोनों पर मेरिट सूची जारी करें। मेरिट सूची जारी करने के पश्चात निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रदेश की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
10. छात्र/छात्राओं द्वारा विषय समूह/नाम/पिता/माता का नाम/जन्म तिथि आदि के चयन में हुई त्रुटियों का सुधार विश्वविद्यालय के माध्यम से करा सकेंगे। विषय/ पाठ्यक्रम में हुई त्रुटि का सुधार विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय से निःशुल्क करा सकेंगे।
11. महाविद्यालयों को यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड पूर्व में प्रदान किया गया है, फिर भी यदि किसी महाविद्यालय के पास यह नहीं है तो वह विश्वविद्यालय से संपर्क कर इसे प्राप्त कर सकते हैं।
12. किसी भी स्थिति में ऑफलाईन प्रवेश आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

संलग्नः

1. अकादमिक कैलेण्डर।

कुलसचिव

पृ.क्र. 271 / प्रवेश / 2025 — दुर्ग, दिनांक 03/06/2025

प्रतिलिपिः—

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
4. कलेक्टर—दुर्ग / बेमेतरा / बालोद / कबीरधाम / राजनांदगांव / मोहला—मानपुर—चौकी / खैरागढ़— छुईखदन—गंडई।
5. पुलिस अधीक्षक—दुर्ग / बेमेतरा / बालोद / कबीरधाम / राजनांदगांव / मोहला—मानपुर—चौकी / खैरागढ़—छुईखदन—गंडई।
6. वित्त अधिकारी / अधिष्ठाता छात्र कल्याण / उ.कु.स. / स.कु. परीक्षा / गोपनीय / अकादमिक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
7. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।
8. संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र जिला— दुर्ग / बेमेतरा / बालोद / कबीरधाम / राजनांदगांव / मोहला—मानपुर—चौकी / खैरागढ़—छुईखदन—गंडई।

उपकुलसचिव